तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर/6133/2005/नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम भींवा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री शांतिप्रकाश औझा, राजकीय अधिवक्ता।

अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 05.03.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 30.08.2005 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है ।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, नावां ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का पेश किया कि मौजा जीणवार का खसरा संख्या 124 रकबा 9 बीधा 16 बिस्वा किस्म भूमि गे0मु0 नाडी सिवायचक राजकीय भूमि मिसल बंदोबस्त् संवत् 2008 में दर्ज थी। उक्त आराजी खसरा संख्या 124 रकबा 9.16 बीघा किस्म भूमि बा0आ0 का नामांतकरण संख्या 61 के द्वारा नियमन भींवा पुत्र नाथा, जोधा पुत्र भवाना जाति जाट सा0देह के नाम खातेदारी स्वीकार की गई तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। जिस पर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म पाल/नाडी/नाला/तालाब के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि मौजा जीणवार का खसरा संख्या 124 रकबा 9 बीधा 16 बिस्वा किस्म भूमि गे0मु0 नाडी सिवायचक राजकीय भूमि मिसल बंदोबस्त् संवत् 2008 में दर्ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर/6133/2005/नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम भींवा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

थी। उक्त आराजी खसरा संख्या 124 रकबा 9.16 बीघा किस्म भूमि बा0आ0 का नामांतकरण संख्या 61 के द्वारा नियमन भींवा पुत्र नाथा, जोधा पुत्र भवाना जाति जाट सा0देह के नाम खातेदारी स्वीकार की गई तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध है। चूंकि उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावें तथा भूमि को पुनः गैर मुमकिन नाडी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

हमनें राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और अति0 जिला कलक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

चूॅकि राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2008 के अनुसार विवादित आराजी का गै.मु. नाड़ी राजकीय सिवायचक के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार पाल, नदी, नाले, तालाबी किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

नदी, नला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर/6133/2005/नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम भींवा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः—

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला(नला)/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधिविरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै.मु.नाडी खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है।

परिणामतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 30.08.2005 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम जीणवार में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 124 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा का अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/ पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी एवं तत्पश्चात् स्वीकृत समस्त नामांतकरणों को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गै0मु0 नाड़ी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य